बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा के विरूद्ध सरकारी कार्यो के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, नवनियुक्त कर्मियों का वर्षो तक वेतन भुगतान नहीं कर अमानवीय कार्य एवं सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं कर मनमानी कार्रवाई करने संबंधी प्रथम द्रष्टया आरोपों के होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत् संकल्प संख्या–634 दिनांक– 05.03.2013 के द्वारा श्री दीपम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं आरोप प्रपत्र "क" गठित करते हुए संकल्प संख्या–1720 दिनांक–03.06.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा श्री देव नन्दन यादव, तत्कालीन संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

(2) संचालन पदाधिकारी ने प्रपत्र "क" में गठित कुल 5 (पॉच) आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें आरोप संख्या–4 एवं 5 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

(3) निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा में अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक के सामंजन के फलस्वरूप नवनियुक्त निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं प्राचार्य श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम के द्वारा किये गये आपत्ति की गहन जॉच हेतु विभागीय जॉच समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा मामले में श्री दीपम की Malafide Intention प्रमाणित पाया गया एवं श्री दीपम के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

(4) उक्त समिति के Findings पर सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में जॉच प्राधिकार से प्रतिवेदन की मॉग की गई। जॉच प्राधिकार से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि श्री दीपम को चाहिए था कि नवनियुक्त कर्मियों को निदेशालय के आदेश के आलोक में प्रथम तीन माह के लिए योगदान औपबंधिक रूप से स्वीकृत करते हुए नियुक्ति पत्र की सत्यता सम्पुष्टि इत्यादि संबंधित कार्रवाई करते, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस बिन्दु पर श्री दीपम को दोषी माना गया।

(5) अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई तथा विभागीय पत्रांक– 2224 दिनांक– 30.7.2014 के द्वारा श्री दीपम से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गई।

(6) श्री दीपम से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त कोई ऐसे नये तथ्य नहीं पाये गये जिसपर विचार किया जा सके। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रक एवं अपील) (संशोधित) नियमावली, 2007 के प्रावधान

कृ0पृ0उ0

के तहत् निम्न वृहत् दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया :–

"श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम की दो वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से कटौती करते हु उन्हें निलम्बन से मुक्त किया जा सकता है। निलंबनावधि में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक और कुछ देय नहीं होगा।"

(7) उक्त दण्ड अधिरोपित किये जाने के बिन्दु पर मुख्य सचिव के माध्यम से माननी मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

(8) चुँकि उक्त दण्ड वृहत् दण्ड की श्रेणी में आता है अतः अनुमोदित दण्डादेश प विभागीय पत्र संख्या–2912 दिनांक–24.9.2014 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श क मॉग की गई।

(9) इसी बीच श्री दीपम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के प्रावधान के आलोक में अधिसूचना संख्या–258 दिनांक–24.12.2014 के द्वार तत्काल प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया गया।

(10) उक्त दण्ड प्रस्ताव पर परामर्श के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2645 दिनांक–09.02.2015 के साथ दिनांक–03.02.2015 को सम्पन्न आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराई गई, जिसके कंडिका–09 में उल्लेख किया गया है कि "तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त आयोग को स्पष्ट हुआ कि उपर्युक्त आरोपों के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तावित दण्ड आनुपातिक नहीं है। अतः आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करता है।"

(11) बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर असहमति के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि श्री दीपम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं आदेश की अवहेलना का आरोप प्रमाणित पाया गया है। समीक्षोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श से असहमत होते हुए आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लेते हुए इस बिन्दु पर विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

(12) अतएव श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम के विरूद्ध गम्भीर आरोपों के प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधित नियमावली, 2007 के प्रावधान के आलोक में उन्हें वृहत् दण्ड "श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम, की दो वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से कटौती करने एवं निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा सम्प्रति प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोथुआ, पिरो, भोजपुर को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

निबंधित

ह0/–
(जय नारायण झा)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
(अपर समाहर्त्ता स्तर)
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)–23/2013 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह0/–
(जय नारायण झा)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
(अपर समाहर्त्ता स्तर)

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)–23/2013 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
(जय नारायण झा)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
(अपर समाहर्त्ता स्तर)

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)–23/2013 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
(जय नारायण झा)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
(अपर समाहर्त्ता स्तर)

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)–23/2013 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

निबंधित प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, सहरसा/भोजपुर (आरा)/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/ भोजपुर (आरा), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
(जय नारायण झा)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
(अपर समाहर्त्ता स्तर)

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)–23/2013 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

निबंधित प्रतिलिपि– श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोथुआ, पीरो, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
(जय नारायण झा)
विशेष कार्य पदांधिकारी,
(अपर समाहर्त्ता स्तर)

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)–23/2013 श्र0सं0– 2535 पटना, दिनांक– 03/09/15

प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD) (श्री झा एवं श्री अशोक कुमार सिंह), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय चारित्री/प्रशाखा पदाधिकारी– 6 को 5 अतिरिक्त प्रति के साथ/ आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

3.9.15

(जय नारायण झा)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
(अपर समाहर्त्ता स्तर)

3/9/15